

राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार,
“प्रगति सदन” कचहरी रोड, राँची, पिन-834001
e-mail:-secrrda1967@gmail.com

पत्रांक- 1328

दिनांक- 03/08/2023

आम-सूचना

निदेशानुसार बजरिये इस विज्ञापन से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड राँची द्वारा नक्शा पास करने की प्रक्रिया सरल कर दी गई है। राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले ग्रामों में भवन उपविधि-2016 (संशोधित) के अनुसार भवन निर्माण करने से पूर्व नक्शे की स्वीकृति अनिवार्य है, अन्यथा बिना नक्शा पास कराये भवन निर्माण को गैर-कानूनी माना जायेगा और अनाधिकृत निर्माण वाद दर्ज कर नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी।

इसे सख्त ताकिद समझें।


3/8/23
नगर निवेशक,
रां0क्षे0वि0प्रा0, राँची।

श्री श्री क्षेत्रीय विकास प्राधिकार,

“प्रगति सदन” कवहरी रोड, रांची, दिनांक-834001

e-mail:-secretary1967@gmail.com

पत्रांक-1328

दिनांक-03.08.2023

आम-सूचना

निदेशानुसार वगणिते इस विज्ञापन से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड रांची द्वारा नक्सा पास करने की प्रक्रिया सफल कर दी गई है। श्री क्षेत्रीय विकास प्राधिकार क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले ग्रामों में भवन लपयिषि-2016 (संशोधित) के अनुसार भवन निर्माण करने से पूर्व नक्शों की स्वीकृति अनिवार्य है, अन्यथा बिना नक्शा पास कराये भवन निर्माण को नैर-कानूनी माना जायेगा और अनाधिकृत निर्माण बाद दुरु कर नियमभंगत कार्यवाही की जायेगी।

इसे साक्षात्तांकित समझें।

हो /

PR 303902 Branch Regional
Development Authority, RA-24, RA

नगर निदेशक,

राज्योपनिषद् रांची